प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 16.10.2019

पैदल गश्त अभियानः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 10 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था। जिसमें जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 22 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 15.10.2019 को जनपद के थानों से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50.400 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. मदन पुत्र दुलारे नि0 बैनिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–361/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. राजकुमार पुत्र सन्तू सोनकर व ज्योति पत्नी सन्तू सोनकर नि0 नरायनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–394/19, 02. कृष्णावती सोनकर पत्नी जगदम्बिका सोनकर नि0 नरायनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से लगभग 10.400 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–395/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्यारोपी 02 अभियुक्त गिरफ्तार –
गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दहेज हत्यारोपी 02 अभियुक्तों– 01. विजयपाल सिंह पुत्र भवानीफेर, 02. सौरभ सिंह पुत्र वियजपाल निवासीगण परासपट्टी पझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–115/19, धारा 498ए, 304बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त मुकदमा वादी हरिशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ सिंह नि0 मुंडेरवा बरगदी कोट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा के द्वारा दिनांक 30.05.2019 को अपनी पुत्री लक्ष्मी को उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दहेज की बात को लेकर ज्वलनशील पदार्थ खिलाकर जान से मारने के आरोप मे दिनांक 02.06.2019 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे उमरीबेगमगंज पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर धनईगंज बन्धा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।